क्या आप जानते हैं कि

- आपके क्षेत्र में विकास कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ?
- आपको महीने में कितना राशन मिलने का प्रावधान है ?
- सरकारी वृद्धावस्था पेंशन पाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है ?
- आम व्यक्ति के विकास हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी विकास योजनाएं संचालित की जा रही है ?

इस तरह के ऐसे अनेक सवाल हैं, जिनका जवाब पाने के लिए हमें अनावश्यक भटकना पड़ता है। लेकिन, अब इस तरह की किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें भटकने या परेशान होने की आवश्यकता नहींहै। अब हमें जरूरत है, सूचना का अधिकार का प्रयोग करने की।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

जी हाँ, 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ है । इस कानून के अंतर्गत, अब हम किसी भी सराकरी कार्यालय (लोक प्राधिकरण) से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं । इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालय (लोक प्राधिकरण) हमारी मांगी हुयी जानकारी देने के लिए बाध्य हैं।

जानकारी क्यों मांगे ?

हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं । हमारे वोट से सरकार बनती है। हमारे द्वारा जमा किए गए टैक्स से सराकरी कामकाज चलता है। इस टैक्स के पैसे से कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती है । यह टैक्स सरकार हमसे लेती है।

तो जब सरकार हमारी और पैसा हमारा तो जानकारी भी हमारी हुयी।

सूचना का अधिकार हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जवाब मांगे।

सूचना लेना हमारा अधिकार
सूचना देने के लिए सरकार जिम्मेदार।

सूचना मिलेगी कैसे ?

हर सरकारी दफ्तर (लोक प्राधिकरण) में जनता को सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी को नामित किया गया है । सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक सादे कागज में अपना आवेदन लोक सूचना अधिकारी को देना होगा। मांगी गयी सूचना, नागरिकों को देने के लिए लोक सूचना अधिकारी जिम्मेदार हैं। नगारिकों द्वारा मांगे जाने पर सूचना 30 दिनों के अंदर और यदि मांगी गयी सूचना व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो, वह सूचना आवेदक को 48 घंटे के अंदर दी जाएगी।

सूचना का अधिकार के आवेदन में दी जाने वाली जानकारी का विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन का सम्भावित प्रारुप.

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता
3. दूरभाष संख्या (यदि हो तो)
4. आवेदन देने का दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गयी जानकारी का स्पष्ट विवरण :-
7. क्या चाहते हैं -
   नकल/कार्य निरीक्षण/रिकॉर्ड निरीक्षण/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नमूना
8 आवेदन के साथ जमा किया गया शुल्क रू. 10/- नगद/चालान/मानीआर्डर/नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प।
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं - हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो बी0पी0एल0 सूची का अनुक्रमांक)

आवेदक के हस्ताक्षर

सूचना ना मिलने पर क्या किया जाए ?

- यदि लोक सूचना अधिकारी आवेदन पत्र लेने से इन्कार करता है।
- यदि समय-सीमा के अंदर सूचना नहीं मिलती है।
- यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क मांगते हैं।
- यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों तक कोई भी जवाब नहीं देते हैं।

तब संबंधित विभाग में ही लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के पास आवेदक द्वारा प्रथम अपील की जाएगी। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी के फैसले से भी आवेदक असंतुष्ट हो, तो दूसरी अपील सूचना आयोग के पास की जा सकती है।

राज्य स्तर के विभागों की अपील राज्य सूचना आयोग को तथा केन्द्र स्तर के विभागों की अपील केन्द्रीय सूचना आयोग को की जाएगी। इनका पता है:

- केन्द्रीय सूचना अयोग
  बी विंग, द्वितीय तल
  अगस्त क्रांति भवन
  भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66
  फोन - 011- 26717354

- राज्य सूचना आयोग
  बाटल हाउस के पास
  मीरादातार रोड, शंकर नगर
  रायपुर (छ.ग.) - 492007
  दूरभाष - 0771-4024406

आज देश भर में सैकड़ों नागरिक सूचना का अधिकार का प्रयोग कर रहें हैं। क्या आप इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे ? अपने जानने के हक का प्रयोग करें और विकास की दिशा खुद तय करें।

आज देश भर में सैकड़ों नागरिक सूचना का अधिकार का प्रयोग कर रहें हैं। क्या आप इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे ? अपने जानने के हक का प्रयोग करें और विकास की दिशा खुद तय करें।

सूचना का अधिकार पर
अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें -

- सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
  छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी
  मंत्रालय परिसर
  रायपुर (छ.ग.) -492001
  फोन - 0771-4080294
  मो. - 94252-90293 (एम.के.शर्मा)

- कॉमनवेल्थ हयूमन राईट्स इनीशिएटिव
  मकान नं0 - 50,सेक्टर - 1
  गीतांजली नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492007
  फोन - 0771-4011235
  मो0 - 94255-30719 (प्रतीक पाण्डे)

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी
मंत्रालय, रायपुर